हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का लेन–देन और अन्य प्रावधान) विनियम, 1998[1]

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 की अधिनियम संख्या 39) की धारा 29–क द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है :

हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण

(व्यवसाय और अन्य व्यवसाओं का कार्य सम्पादन) विनियम, 1998

अध्याय– I

प्रारंभिक

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण (व्यवसाय और अन्य व्यवसाओं का कार्य सम्पादन) विनियम, 1998 है। Short title and commencement

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन विनियमों में जब संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो– Definitions

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) द्वारा तथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39)

(ख) ''लाभान्वित व्यक्ति'' से अभिप्राय है व्यक्तियों जिनको कानूनी सहायता, कानूनी सलाह या कानूनी सेवा किसी भी रूप में दी जाती है,

(ग) ''केन्द्रीय प्राधिकरणष''से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(घ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष या उप–मण्डल विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो,

(ङ) ''मुख्य न्यायमूर्ति'' से अभिप्राय है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश,

---

[1] Published in Haryana Government Gazette (Extra). Dated April 17, 1998 (CHTR 27, 1920 SAKA).

(च) ''न्यायालय'' से कोई सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत न्यायिक या न्यायिकोर कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रबल किसी विधि के अधीन गठित कोई अधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण है।

(छ) ''समिति'' से अभिप्राय है उप–मण्डल विधिक सेवा समिति,

(ज) ''जिला प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

(झ) ''कार्यकारी अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष,

(ञ) ''उच्च न्यायालय'' से अभिप्राय है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़।

(ट) ''विधि व्यवसायी'' से वही अभिप्राय होगा जो एडवोकेट अधिनियम, 1961 की अभिव्यक्ति में निश्चित है,

(ठ) ''विधिक सेवा'' के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है,

(ड) ''लोक अदालत'' से अध्याय 6 को अधीन आयोजित लोक अदालत अभिप्रेत है

(द) ''सदस्य'' से अभिप्राय है. राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण या उप–मण्डल विधिक सेवा समिति का सदस्य या जैसी भी स्थिति हो,

(ण) ''सदस्य सचिव'' से अभिप्राय है, राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव,

(त) ''मनोनीत सदस्य'' से अभिप्राय है. राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण या उप–मण्डलीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, का मनोनीत सदस्य,

(थ) ''मुख्य संरक्षक'' से अभिप्राय है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति

(द) ''नियम'' से अभिप्राय है. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996,

(घ) ''सचिव'' से अभिप्राय है, जिला प्राधिकरण या उप–मण्डल विधिक सेवा समिति का सचिव या जैसी भी स्थिति हो,

(न) ''धारा'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा,

(प) ''राज्य प्राधिकरण'' से अभिप्राय है. अधिनियम की धारा 6 (1) के अधीन गठित हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

(फ) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों किन्तु जो परिभाषित नहीं किए गए हैं, क्रमशः उनके अधिनियम और नियमों में दिये गये अर्थ होंगे।

अध्याय –2

3. राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकार कार्यकारी अध्यक्ष को निहित होंगे और सदस्य सचिव द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं जो कि कार्यकारी अध्यक्ष के नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा। Vesting of Authority

परन्तु मुख्य संरक्षक ऐसी सलाह दे सकता है जो वह राज्य प्राधिकरण से संबंधित कार्यों के लिए जरूरी समझे।

जिला प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकार इसके अध्यक्ष को निहित होंगे और सचिव द्वारा प्रयोग किये जा सकते हैं जो कि अध्यक्ष के नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा।

उप–मण्डल समिति के कार्यकारी अधिकार इसके अध्यक्ष को निहित होंगे और स्वंय या किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया हो, द्वारा प्रयोग किये जा सकते हैं।

किन्तु कार्यकारी अध्यक्ष ऐसी सलाह दे सकता है जो वह जिला प्राधिकरण और उप–मण्डल समिति से संबंधित कार्यों के लिए जरूरी समझे।

अध्याय– 3

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य प्राधिकरण के अन्य कृत्य

4. राज्य प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कृत्यों जो अधिनियम की धारा 7 (1) और 7(2) (क) (ख) (ग) में दिये गये हैं के अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण ऐसे अन्य कार्य जो कानूनी सहायता, कानूनी साक्षरता और सरकारी, गैर सरकारी अभिकरणों, स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों के समक्ष समन्वय स्थापित करके योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए जो केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से निर्धारित किये गये हों, कार्यान्वित कर सकता है।

5. (1) राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तीन महीनों में एक बार बैठक करेगा परन्तु कार्यकारी अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण की बैठक जब भी किसी व्यवसाय का कार्य सम्पादन करना हो तो बैठक बुला सकता है। Meeting of the State Authority

(2) राज्य प्राधिकरण की बैठक साधारणतया चण्डीगढ़ में होगी फिर भी कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश पर यह राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती है।

(3) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक आम बैठक माधारणतया प्रत्येक वर्ष के अप्रैल महीने में या किसी अन्य महीने में जिसका कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया जाये, होगी। अन्य व्यवसाओं के अतिरिक्त वार्षिक लेखों का विवरण, राज्य प्राधिकरण की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में वार्षिक प्रगति या निष्पादन की रिपोर्ट प्राधिकरण के मामने सोच–विचार और अनुमोदन के लिए रखेगा।

(4) राज्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष करेगा। यदि मुख्य संरक्षक बैठक में उपस्थित हो तो वह बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(5) बैठक का कोरम अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों का होगा।

(6) राज्य प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस देना होगा। यद्यपि सदस्य सचिव द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश देने पर संक्षिप्त नोटिस पर आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है।

(7) राज्य प्राधिकरण अपनी कार्यप्रणाली अपना सकता है।

(8) एक या अधिक व्यक्ति, जो कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे हों या दिलचस्पी रखते हों, जोकि कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उचित समझे जायें, को उनके विचारों, सहयोग और सहायता को जानने के लिए किसी भी बैठक में बुलाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसी बैठक में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

(9) वे सभी मामले जिनकी अधिनियम या नियमों के अधीन राज्य प्राधिकरण से पुष्टि होनी हो और सभी नीति मामले या कोई भी विशेष मामला जिसका कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया जाये राज्य प्राधिकरण के समक्ष विचार विमर्श और निर्णय के लिए रखा जायेगा।

(10) राज्य प्राधिकरण के सभी निर्णय उपस्थिति सदस्यों के बहुमत और मतों से लिए जाएंगे और बराबर बराबर मत पडने पर बैठक की अध्यक्षता कर रहा व्यक्ति दूसरा या निर्णायक मत डालेगा।

परन्तु ऐसे मामलों में जो कि राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये हों, का राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्णय वितरण द्वारा किया जा सकता है।

(11) सदस्य सचिव का यह दायित्व है कि वह वैठक का विवरण रजिस्टर में, जो इस उद्देश्य के लिए लगाया गया हो, में लिखे या उसकी कार्यवाही लिखे।

(12) गैर सरकारी सदस्य राज्य प्राधिकरण के कार्य करने से सम्वन्धित यात्रा करने के लिए उसी दर पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे जिसके राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारी योग्य हैं।

Powers of Executive Chairman

6. (1) कार्यकारी अध्यक्ष उन सभी निर्णयों को लेने के योग्य है जो कि राज्य प्राधिकरण के द्वारा लिये जा सकें।

(2) कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा विधिक सहायता, विधि सलाह या अन्य विधिक सेवायें किसी भी ऐसे मामले में जो हरियाणा के किसी न्यायालय के समक्ष हो सीधे ही प्रदान की जा सकती है।

(3) कार्यकारी अध्यक्ष उन मामलों में जिनमें जिला प्राधिकरण या उप–मण्डल विधिक सहायता समिति द्वारा विधिक सहायता देने से इन्कार किया गया हो में पुर्नविचार कर सकता है।

Funds of the State Authority

7. राज्य प्राधिकरण निधि में वही कुछ होगा जो अधिनियम की धारा 16(1) के अधीन राज्य विधिक सहायता निधि में जो समन्वित हो और इसके अतिरिक्त होंगे

(1) वे सभी राशियों जो वादव्यय, व्यय और खर्चे जो कि उन व्यक्तियों में जिनको विधिक सहायता प्रदान की गई हो या विरोधी पक्ष से प्राप्त की गई हो।

(2) वे सभी धन राशियों जो जो राज्य प्राधिकरण निधि में प्राप्त की गई हो को गीयकृत बैंक में जमा करवाया जायेगा।

व्याख्या : इस उप–विनियम में राष्ट्रीयकृत बैंक का अर्थ वही होगा जो बैंक निगम (एक्विजिशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंगज) एक्ट 1970 और बैंकिग निगम (एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1980 में परिभाषित है।

(3) अचानक छोटे मोटे खर्चों को जैसे कि कोर्ट फीस स्टैम्प और वे खर्चे जो कागजात की नकले और आकस्मिक खर्चे इत्यादि को पूरा करने के उद्देश्य के लिए सदस्य सचिव के लिए 3000/–रुपये स्थायी तौर पर अग्रिम राशि रखी जायेगी।

(4) सभी खर्चे जो कि राज्य प्राधिकरण के विभिन्न कत्यों को निपटाने के लिए जरूरी है जिनमें बैठकों का खर्चा भी सम्मिलित हैं. राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के अनुमोदन पर राज्य प्राधिकरण निधि में से किये जायेंगे।

[2]शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप–विनियम में उल्लिखित व्यय में निम्नलिखित व्यय शामिल हैं :–

---

[2] Vide Notification No.MS/HALSA/2016/(Acctt.) 12454 dated 14th September, 2016.

(i) हालसा के प्रशासनिक कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उप–मंडल विधिक सेवा समिति, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) और मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्रों में डीसी दरों/अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी पर व्यय।

(ii) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई विधिक सहायता योजनाओं से संबंधित व्यय तथा विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सहायक व्यय।

(iii) राज्य प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उप–मंडल विधिक सेवा समितियों, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ), मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्रों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक किसी अन्य अवसंरचनात्मक मद की प्राप्ति पर व्यय तथा अन्य प्रशासनिक उद्देश्यों पर व्यय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य सचिव (जैसा भी मामला हो) के पूर्व अनुमोदन के अधीन।

(iv) हरियाणा राज्य में राज्य प्राधिकरण के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के साथ–साथ एडीआर केंद्रों के दैनिक कार्यालय व्यय जैसे बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल आदि को पूरा करने के लिए।

(v) माननीय कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य सचिव, हालसा के पूर्व अनुमोदन से कोई अन्य व्यय, जैसा भी मामला हो;

बशर्ते, उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए व्यय केवल तभी किया जाएगा जब धनराशि हालसा, राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हो।

परन्तु 1,00,000/– रूपये[3] से अधिक खर्चे के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का अनुमोदन लेना होगा।

(5) सदस्य सचिव केन्द्रीय/राज्य सरकार और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा निर्धारित नियमों और निर्देशों के अनुसार सत्य और ठीक तरह से प्राभियों और खर्चे का लेखा और अन्य सम्बन्धित कागज सुरक्षित रखेगा।

---

[3] Substituted by Haryana State Legal Services Authority vide notification No. HALSA/1(5)2014/558 dated 5.6.2014.

अध्याय 4

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जिला प्राधिकरण के अन्य कृत्य

Other functions of the District Authority

8. जिला प्राधिकरण, उन कृत्यों के अतिरिक्त जिनका धारा 10 में उल्लेख हैं, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात :–

(1) जिले के भीतर उन सभी व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो अधिनियम के मापदण्डों को पूरा करते हों,

परन्तु जिला प्राधिकरण विधिक सेवा देने का कृत्य उप–मण्डल विधिक सेवा समितियों को जो उनके जिला के अधिकार क्षेत्र में हैं को सौंप सकता है।

(2) विधिक साक्षरता कैम्पों का जिले के अलग–अलग हिस्सों में ग्रामीण जनता, स्त्रियों, बच्चों, विकलांगों, अंगहीनों और समाज के कमजोर वर्गों को, राज्य में चलाई जा रही विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी देने के विचार के साथ या नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने के विचार के साथ आयोजन करेगा।

(3) विधिक सेवा कार्यक्रमों का जहां तक वे जिला के न्यायालयों से सम्बंधित हों का संचालन और कार्यान्वयन करना और इस उद्देश्य के लिए वह सभी कदम लेगा जो आवश्यक हो और केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करे।

(4) विधि महाविद्यालयों, विश्व विद्यालय और दूसरे समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग में जिले के अलग–अलग हिस्सों में कानूनी सहायता क्लीनिक का लगाना।

(5) जिले में उपमण्डल समितियों के कार्यो का निरीक्षण, निर्देशों और मार्गदर्शन करना।

(6) जिले को उपमण्डल समितियों में नियतकालिक सूचनायें, विवरण और दूसरी सांख्क्रीय सूचनायें जो ठीक समझे या जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जब्ती या ठीक समझे या जो अन्य प्राधिकरण द्वात जरूरी हो का मंगवाना।

(7) कानूनी सेवा योजनाओं में सम्बंधित विवरण, सूचनायें और शासकीय सूचनायें तैयार करना और राज्य प्राधिकरण को भेजेगा।

Terms and other conditions of members of the District Authority

9. जिला प्राधिकरण के सदस्यों से सम्बंधित कार्यालय के कृत्य और शर्तें:

(1) पदेन सदस्यों के अलावा जिला प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा और वे पुनः नामांकन के पात्र होंगे।

(2) नियम 13 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत मनोनीत जिला प्राधिकरण का सदस्य राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है. अगर

(क) वह बिना किसी प्रर्याप्त कारण के जिला प्राधिकरण की लगातार तीन मीटिंगों या दो साल की अवधि में पांच मीटिंगों में सम्मिलित/उपस्थित नहीं होता, या

(ख) दिवालीया घोषित हो चुका हो, या

(ग) किसी अपराध में दण्डित किया गया हो जो राज्य प्राधिकरण के विचार में चरित्रहीनता से सम्बन्धित हो, या

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारिरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ हो, या

(ङ) अपने पद का दुरुपयोग करने वाले, जिला प्राधिकरण के सदस्य के रूप में निरन्तर बने रहना लोकहित में हानिकारक हो।

(3) उप–विनियम (2) में कुछ भी होने के बावजूद भी किसी सदस्य को मुख्य न्यायमूर्ती के परामर्श के बिना जिला प्राधिकरण से उल्लेखनीय मूल कारण से नहीं हटाया जा सकता है।

(4) सदस्य अपने हाथों से लिखित रूप में जिला प्राधिकरण की सदस्यता से त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है और उसका त्यागपत्र उसके त्यागपत्र के देने की तिथि से 30 दिन के वाद प्रभावी होगा।

(5) अगर कोई मनोनीत सदस्य किसी कारण से जिला प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहता तो रिक्त स्थान उसी रीति और साधन से भरा जायेगा, जैसे कि धारा 13 के खण्ड (ख) से मूल मनोनयन किया जाता है।

(6) सभी मनोनीत सदस्य जिला प्राधिकरण की बैठक के सम्बन्ध में की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे और जिला प्राधिकरण द्वारा यह भत्ते हरियाणा सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित नियमों के अनुसार दिये जायेंगे जो हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को दिये जाते हैं। पदेन सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते को अपने मूल विभाग से लेने के पात्र होंगे।

(7) पदेन सदस्य अपने मूल विभाग से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।

10. जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य

(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण के सभी कार्यक्रमों के प्रशासनिक और कार्यान्वित करने का समस्त प्रभारी होगा।

(2) अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण की बैठक, सचिव के माध्यम से कम तीन महीन बार करेगा।

(3) अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष के पास सभी अवशिष्ट शक्तियां होंगी।

11. जिला प्राधिकरण का सचिव

(1) अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सचिव, जिला प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी होगा, उसे मानदेय 500/–रू0 या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा और वह जिला प्राधिकरण की सम्पूर्ण सम्पत्ति, लेखा, रिकार्ड, कोष और दूसरे आवश्यक रिकार्ड का अभिरक्षक होगा।

''टिप्पणी[4] : 1. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कार्य संचालन एवं अन्य प्रावधान) विनियम, 1998 के विनियम 11(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्राधिकरण के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत नियुक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को देय मानदेय की दरों को 1.9.2008 से 500/– रुपए से बढ़ाकर 1500/– रुपए प्रति माह कर दिया है।''

(2) सचिव, जिला प्राधिकरण के कोष के आय और व्यय के सही एवं उचित लेखे रखेगा।

(3) सचिव, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से जिला प्राधिकरण की बैठक करेगा और और बैठक के संक्षिप्त ब्यौरे के रिकार्ड के बनाये रखन का उत्तरदायी होगा।

12. जिला प्राधिकरण की बैठक

(1) जिला प्राधिकरण की बैठक जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशानुसार निश्चित स्थान पर कम से कम तीन महीने में एक बार होगी।

(2) जिला प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेगा।

---

[4] Issued vide Officer order No.13743/2008/MS/HSLSA, Dated, Chandigarh the 22.8.2008.

(3) बैठक के बाद संक्षिप्त ब्यौरा जितनी जल्दी हो राज्य प्राधिकरण को भेजा जायेगा।

(4) बैठक का कोरम अध्यक्ष सहित तीन होगा।

(5) सभी प्रश्न जो जिला प्राधिकरण की बैठक के समक्ष आयेंगे उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतों में निश्चित किये जायेंगे और बराबर मत पड़ने पर अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

परन्तु उन मामलों में जो जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किये जा सके, जिला प्राधिकरण का निर्णय वितरण द्वारा किया जा सकता है।

(6) समय–समय पर वह सभी मामले जिनको अधिनियम या नियमों के अन्तर्गत जिला प्राधिकरण में पुष्टी जस्ती हो इस प्राधिकरण के समक्ष रखे जायेंगे।

13. जिला प्राधिकरण कोष

(1) जिला प्राधिकरण कोष में वहीं कुछ होगा जो अधिनियम की धारा 17 (1) के अधिन जिला विधिक सहायता कोष में सम्मिलित है और इसके अतिरिक्त वे सभी धनराशियां जो वादव्यय से, व्यय और खर्चे जो कि उन व्यक्तियों से जिनको विधिक सहायता प्रदान की गई हो या विरोधी पक्ष से प्राप्त की गई हो, सम्मिलित होंगी।

(2) वे सभी धनराशियाँ जो जिला प्राधिकरण कोष में प्राप्त की गई हों को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जायेगा।

व्याख्या : इस उपविनियम में राष्ट्रीयकृत बैंक का अर्थ वही होगा जो बैंक निगम (अधिग्रहण और स्थानान्तरण का उत्तरदायित्व) एक्ट 1970 और बैंकिग निगम (अधिग्रहण और स्थानान्तरण का उत्तरदायित्व) एक्ट 1980 में परिभाषित है।

(3) सभी खर्चे जो कि जिला प्राधिकरण और उप–मण्डल सेवा समिति के विभिन्न कृत्यों को निपटाने के ले जरूरी है जिसमें बैठकों का खर्चा सम्मिलित है, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन पर जिला प्राधिकरम कोष में से किये जायेंगे।

(4) राज्य प्राधिकरण कोष को अध्यक्ष द्वारा पा जिला प्राधिकरण के दूसरे सदस्यों द्वारा या सचिव द्वारा विधिक सेवाओं के कार्यकलापों में मम्विन्धित की गई आकस्मिक पात्राओं और को करने के लिए श्री प्रयोग किया जा सकता है। अध्यक्ष पदेन सदस्यों और सचिवको वही पात्राता और दैनिक भता दिया जायेगा जिसके वे अपने मूल कार्यालय में लेने के पात्र हैं।

(5) सचिव, बैंक खाते को अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार परिचालित करेगा।

(6) जिला प्राधिकरण आप और व्यय के गत्य और वही लेखे मुरक्षित रखेगा और राज्य प्राधिकरण को त्रैमासिक विवरण देगा।

(7)[5] न्यायालय शुल्क, स्टाम्प और दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय जैसे आनुशंगिक छोटे–मोटे खर्चों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ, जिला विधिक सहायता निधि में से 2,000/– रुपए की स्थायी अग्रिम राशि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास रखी जा सकती है।

अध्याय 4

उप–मण्डलीय समिति के सदस्यों के कार्यालय का कार्यकाल और अन्य शर्ते

Terms and other conditions of members of Sub-Divisional Committee.

14. (1) उप–मण्डलीय समिति के सदस्य का कार्यकाल पदेन सदस्यों के अलावा दो वर्ष होगा और वे इसके पुनः मनोनयन के पात्र होंगे।

(2) उप–मण्डलीय समिति के सदस्यों को जो धारा 16 के खण्ड (ख) के अधीन मनोनीत किये गये हैं उनको राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है यदि –

(क) विना प्रयाप्त कारण के उप–मण्डलीय समिति की लगातार तीन बैठकों पा दो माल की अवधी में पांच बैठकों में सम्मिलित न होने पर, या

(ख) दिवालीया घोषित किया गया हो, या

(ग) किसी अपराध में दण्डित किया गया हो जोकि उप–मण्डलीय समिति के विचार में चरित्रहीनता से सम्बन्धित हो, या

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारिरिक एवं मानसिक रूप में असमर्थ हो, या

(ङ) अपने पद का दुरुपयोग करने वाले, उप–मण्डलीय समिति के सदस्य के रूप में बने रहने से लोकहित में हानिकारक हो, या

(3) उप–विनियम (2) में कुछ भी होने के बावजूद भी किसी सदस्य को मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के बिना उप–मण्डलीय समिति से उल्लेखनीय मूल कारण से नहीं हटाया जा सकता।

(4) सदस्य अपने हाथों से लिखित रूप में उप–मण्डलीय समिति की सदस्यता से त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है और उसका त्यागपत्र देने के तिथि से 30 दिन के बाद प्रभावी होगा।

(5) अगर कोई मनोनीत सदस्य किसी कारण से उप–मण्डलीय समिति का सदस्य नहीं रहता तो रिक्त स्थान उसी रीति और साधन से भरा जायेगा जैसे कि धारा 16 के खण्ड (क) द्वारा मूल रूप से भरा गया था।

---

[5] Added vide this Authority notification No. HSLA/1(5)/2000 dated 25.5.2000, published in Haryana Government Gazette (Extra) on May, 25, 2000.

(6) सभी मनोनीत सदस्य, उप–मण्डलीय समिति की बैठक के सम्बन्ध में की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे और उन्हें यह भत्ता हरियाणा सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अनुसार दिये जाएगा जो हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को दिये जाते हैं।

(7) पदेन सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अपने विभाग से या जिला प्राधिकरण से लेने के हकदार होंगे।

15. उप–मण्डलीय समिति के अतिरिक्त कृत्य

अधिनियम और नियम के अन्तर्गत प्रदान किये गये कृत्यों के अलावा उप–मण्डलीय समिति वे सभी कार्य करेगी जो कि उसे जिला प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर सौंपे जायेंगे।

16. उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति की बैठक

(1) उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति की बैठक साधारणतया दो बहनों एक बार अध्यक्ष म निर्धारित तिथि और स्थान पर होगी।

(2) उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उक्की अनुपस्थिति में उसने अगले वरिष्ठतम नागरिक न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।

(3) बैठक की कार्यवाहियों का संक्षिप्त ब्यौरा अध्यक्ष या किसी दूसरे व्यक्ति जिसको वह ऐया करने का अधिकार देता है द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा और शीघ्र से शीघ्र जिल्ला प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण को भेजे जायेंगे।

(4) बैठक का कोरम अध्यक्ष सहित तीन होगा।

(5) उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति की बैठक में सभी प्रश्नों के निर्णय सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतों से लिए जायेंगे और वरावर वरावर मत पड़ने पर बैठक अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का दूसरा और निर्णायक मत होगा। परन्तु ऐसे मामलों में जो उप–मण्डलीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किये गये हों का निर्णय वितरण द्वारा किया जा सकता है।

(6) उन सभी मामलों को जिनकी पुष्टि उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति द्वारा अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत लेनी आवश्यक हो को समिति के समक्ष समय–समय पर रखा जाएगा।

17. उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति कोष

(क) उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति के कार्यों को करने के लिए किये गये सभी खर्चे जिला विधिक सहायता निधि से किये जायेंगे।

(ख) ऐसे सभी आकस्मिक खर्चे जैसे न्यायालय की फीस, स्टैम्प और कागजातों की नकलें लेने के लिए आवश्यक खर्चे इत्यादि के लिए उप–मण्डलीय अध्यक्ष के पास जिला विधिक सेवा निधि से जिला प्राधिकरण द्वारा 1,000 रु० अग्रिम स्थाई धनराशि रखने की व्यवस्था की जायेगी।

अध्याय– 5

लोक अदालत

18. लोक अदालत आयोजित करने का तरीका :

(1) जिला प्राधिकरण का सचिव या उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष या जैसी भी स्थिति हो नियमित अंतरालों और ऐसी तिथियों पर जो राज्य प्राधिकरण के द्वारा निर्देशित की गई हों पर लोक अदालतों का आयोजन करेगा।

परन्तु राज्य प्राधिकरण का सदस्य–सचिव, लोक अदालतों के आयोजन का तालमेल रखने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की सहमति से जिला और उप–मण्डल स्तर पर लोक अदालतें लगने की एक त्रैमासिक सूची तैयार करेगा और इसका विभिन्न प्राधिकरणों को वितरण करेगा।

(2) **राज्य प्राधिकरण को सूचित करना**

जिला प्राधिकरण का सचिव या उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, राज्य प्राधिकरण को किसी भी लोक अदालत के आयोजन के प्रस्ताव की तिथि उचित समय पहले सूचित करेगा।

19. संबंधित पक्षों को नोटिस

(1) जिला प्राधिकरण का सचिव या उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, वादी और उसकी कौंसिल को जिसका कसे लोक अदालत लगाया जाना है, को समय सूचित करेगा ताकि वह लोक अदालत में आने के लिए तैयार हो सके।

20. लोक अदालत की रचना।

(1) **जिला स्तर पर :–** जिला प्राधिकरण का सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन पर लोक अदालत के लिए दो या तीन ऐसे व्यक्तियों का बैंच गठित करेगा, जो

(1) वर्तमान या सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी हो.

(2) विधिक व्यवसाय का सदस्य हो,

(3) विधिक और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्ति या समाज सेवक हो,

(2) **उप–मण्डलीय स्तर पर –** उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा लोक अदालत लगाने पर लोक अदालत का बैंच गठित करेगा जिनमें दो या तीन व्यक्ति होगे

(i) वर्तमान या सेवा निवृत्त न्याय अधिकारी,

(ii) विधिक व्यवसाय का एक सदस्य, और

(iii) क्षेत्र का समाज सेवक, चिकित्सक या अर्थ विधिक व्यक्ति ।

21. रिकार्ड का मंगवाना और उसके सुरक्षित रखरखाव की जिम्मेदारी :

(1) जिला प्राधिकरण का सचिव या उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, उन लम्बित मुकदमों का न्यायिक रिकार्ड जो अधिनियम की धारा 20 के अधीन लोक अदालत में लगाये जाने हैं, सम्बन्धित न्यायालय से मंगवा सकता है।

(2) यदि कोई मामला शुरू होने से पहले की अवस्था में लोक अदालत में लगाया जाना है तो प्रत्येक पक्ष का व्यान मुकदमें को लोक अदालत में लगाने से पहले जिला प्राधिकरण के सचिव या उप मण्डलीय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा लिया जायेगा।

(3) जिला प्राधिकरण का सचिव या उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, वह न्यायालय से रिकार्ड प्राप्त करने से लेकर उसको वापिस करने तक के रखरखाव का जिम्मेदार होगा।

(4) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी न्यायालय के रिकार्ड को हस्तान्तरित करने के लिए सहयोग देगा।

(5) लोक अदालत के आयोजन के तुरन्त बाद न्यायिक रिकार्ड वापिस किया जायेगा चाहे वह मामला लोक अदालत द्वारा निपटाया गया हो या न निपटाया गया हो, और इसके उपर की गई कार्यवाही के नतीजे की टिप्पणी भी लिखी जायेगी।

22. लोक अदालत की कार्यप्रणाली :

(1) जिला प्राधिकरण का सचिव या उप–मण्डल विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थि हो, अध्यक्ष के आदेश लेने के उपरान्त लोक अदालत के बैंचों को मुकदमें बांटेगा।

(2) जिला प्राधिकरण का सचिव या उप–मण्डलं विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी कि हो, प्रत्येक बैंच के लिए एक सूची तैयार करेगा और वह सभी जो भी सम्बन्धित हो द्वारा अधिसूचि जायेगी।

(3) लोक अदालत का प्रत्येक बैंच विना किसी धमकी या विना किसी प्रभाव, प्रलोभन वा निष्यानिरूपण से मुकदमों को आपसी तालमेल में निपटाने के लिए निष्कपट कोशिश करेगा।

(4) यदि लोक अदालत का कोई बैंच उस दिन किसी मुकदमें/मुकदमों को नहीं सुन सकता/निपटा सकता, तो यदि, वह चाहे तो समिति/प्राधिकरण के सचिव/अध्यक्ष को सूचित करके इसे अगले दिन या उससे अगले दिन भी सुन सकता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय का रिकार्ड सम्बन्धित न्यायालय की अनुमति से रखा जा सकता है।

23. लोक अदालतों का आयोजन

राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति जब भी ठीक समझे ऐसे समय और स्थान पर बन्द शनिवार, रविवार और छुट्टियों में लोक अदालतों का आयोजन कर सकते हैं।

24. लोक अदालत में समझौते को प्रभावी बनाने का तरीका :

(1) लोक अदालत का प्रत्येक फैसला या आदेश लोक अदालत के पैनल द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) असली फैसला न्यायिक रिकार्ड का एक हिस्सा बन जायेगा, और फैसले की एक कापी सम्बन्धित समिति/प्राधिकरण के सचिव/अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हुई, प्रत्येक पक्ष को मुफ्त में दी जायेगी।

25. फैसला/आदेश स्वच्छ और सुसपष्ट हो :

(1) लोक अदालत का प्रत्येक फैसला/आदेश स्वच्छ और सुसपष्ट होना चाहिए जोकि अंग्रेजी या स्थानीय न्यायालयों में प्रयोग होने वाली भाषा में लिखा जायेगा।

(2) लोक अदालत द्वारा ब्यान/समझौते जो लिखे जायेंगे या उसके समक्ष रखें जायेंगे उन पर झगड़े वाले पक्षों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान, जैसी भी स्थिति हो, होने चाहिए।

(3) लोक अदालत का फैसला पक्षों के समझौते के व्यान पर आधारित होगा।

26. नतीजे को संकलित करना :

लोक अदालत के सत्र के निष्कर्ष जो राज्य प्राधिकरण में भेजने के लिए जिला प्राधिकरण का सचिव या उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, नतीजे को संलग्न प्रारूप पर संकलित करेगा।

27. यह विनियमन स्थायी और सतत लोक अदालत (समझौता सदन) के पारिश्रमिक से संबंधित था, जिसे अब बंद कर दिया गया है।

28. अधिनियम की धारा 20 के अधीन या इसके सिबाय मुकदमों के रिकार्ड को सुरक्षित रखने का तरीका :–

1. जिला प्राधिकरण का सचिव या उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, एक रजिस्टर सुरक्षित रखेगा जिसमें कि उस द्वारा प्राप्त किये गये मुकदमें, जिनको लोक अदालत में लगाना है, उनको निम्नलिखित ब्यौरे सहित उसमें लिखेगा :–

(1) प्राप्त करने की तिथि,

(2) मुकदमें की श्रेणी और विषय

(3) ऐसे अन्य ब्यौरे जो वह जरूरी समझे

(4) समझोते और मुकदमें की फाईल की वापसी की तिथि

2. जब मुकदमें का लोक अदालत द्वारा अन्तिम निपटारा हो जाये तो रजिस्ट्रर में उचित रूप से दर्ज किया जायेगा।

29. बजटः जिला प्राधिकरण और उपमण्डल विधिक सेवा गमिति द्वारा आयोजित की गई लोक अदालतों का खर्चा जिला प्राधिकरण कोष में से किया जायेगा। राज्य प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए राज्य विधिक सेवा कोष में से भी जिला प्राधिकरण को अनुदान देगा।

30. लेखों का संरक्षण :

(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष या उप मण्डलीय विधिक सेवा समिति का सचिव, जैसी भी स्थिति हो, लोक अदालतों के व्यय पर पूरा नियंत्रण रखेगा।

(2) जिला प्राधिकरण का सचिव सत्य और समुचित लेख जिला प्राधिकरण को प्रत्येक त्रैमासिक भेजेगा।

(3) उप–मण्डल विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष सत्य और समुचित लेख जिला प्राधिकरण को भेजेगा।

(4) लोक अदालत के आयोजन के बाद जिला प्राधिकरण का सचिव या उप–मण्डल विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित प्रारूप में सूचना भेजेगा।

दिनांक.........................को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान हेतु

(निम्नलिखित से संबंधित मामलों के लिए..............................)

राज्य प्राधिकरण का नाम...........................

राष्ट्रीय लोक अदालत की कुल गठित बैंच									
	पूर्व–मुकदमेंबाजी मामले			लंबित मामलें			कुल		
विषय	लिए गए	निपटाए गए	निपटान राशि	लिए गए	निपटाए गए	निपटान राशि	लिए गए	निपटाए गए	निपटान राशि

31. जबकि पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ राज्यों की धारा 8 (क) के अन्तर्गत एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है उच्च न्यायालय में लोक अदालतों का आयोजन पंजाब, हरियाणा, केन्द्रीय शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के राज्य प्राधिकरणों के अध्यक्षों और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित तरीकों से होगा।

32 (1) लोक अदालत में वादीयों की तरफ से वकीलों को पेश होने से इन्कार नहीं किया जायेगा।

(2) लोक अदालत के समक्ष मामले या मुकद्दमें रखने या लगाने के लिए वादियों द्वारा कोई भी शुल्क नहीं दिया जायेगा।

(3) जिला प्राधिकरण का सचिव या उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, लोक अदालतों के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

(4) लोक अदालत का प्रत्येक बैंच उसके समक्ष लाई गई सभी कार्यवाही को निपटाने का अपना तरीका अपना सकता है और उस पर सिविल प्रोसिजर कोड या एवीडेंस एक्ट या कोड ऑफ किमीनल प्रोसीजर की कोई बन्दिश नहीं होगी, यद्यपि वह इसका निपटारा स्वाभाविक न्याय के सिद्धीन्त पर करेगा।

अध्याय 6

विविध

33. विविध

राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सभी अधिसूचनाएं, विनियम और आदेश वैद्य होंगे जब तक कि वे अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के साथ असंगत न हों।

34. अर्थ निर्णय :–

यदि इन नियमों के अर्थनिर्णय के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है तो राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।